बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–**15/परिवाद (अरवल) 13–162/2023–** (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

परिवादी श्रीमती सुजाता कुमारी, पति–श्री राजेश कुमार सिंह, ग्राम–सिकरिया, पो0–रतनी बाजार, थाना–कुर्था, जिला–अरवल से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0–1667(15) दिनांक–05.09.2023 से गठित विभागीय जाँच दल से प्राप्त प्रतिवेदन में सुश्री अलका कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुर्था, अरवल के विरूद्ध दाखिल–खारिज वाद सं0–582/2022–23 को 09 माह तक लंबित रखने तथा लगान एवं अस्वीकृति में एक समान निर्णय नहीं लिये जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–2118(15) दिनांक–12.12.2023 द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में सुश्री कुमारी द्वारा कार्यालय पत्रांक–1392 दिनांक–15.12.2023 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए अंकित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–402(15), दिनांक–18.03.2025, 849(15) दिनांक–28.05.2025 एवं पत्रांक–1215(15) दिनांक–11.07.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में सुश्री कुमारी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–822 दिनांक–06.08.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं सुश्री कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार सुश्री अलका कुमारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

6. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, अरवल को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

7. सुश्री अलका कुमारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, अरवल/अपर समाहर्त्ता, अरवल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल/ सुश्री अलका कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुर्था, अरवल सम्प्रति अंचल अधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2025_jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2025\Alka kumari_CO(Kurtha_Arwal).doc

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/परिवाद (अरवल) 13–162/2023–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–................................

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, अरवल एवं रोहतास /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल/ सुश्री अलका कुमारी, अंचल अधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक–15/परिवाद (अरवल) 13–162/2023–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, अरवल को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/परिवाद (अरवल) 13–162/2023–122(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–09/02/2026

प्रतिलिपिः– माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/02/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।